

ST. MONTFORT SCHOOL BHOPAL

SMS/CIR/2024-2025/

Date: 11.12.2024

Dear Parents & Students,

This is to inform you that as per the order issued by the Collector, the school timings will be changed from tomorrow i.e. 12.12.2024.

New School Timings will be: -

Senior Wing (III to XII)	: 08:50 AM to 02:30 PM
KG to Class II	: 09:00 AM to 02:00 PM
Nursery	: 09:00 AM to 01:00 PM

Kindly note the Bus will run 1 hour late from the current schedule, so kindly be prepared accordingly.



Bro. Monachan K.K.
Principal

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला भोपाल (म0प्र0)


भोपाल दिनांक 11.12.2024

// आदेश //

क्रमांक/22563/सामान्य/अकादमिक/समय परिवर्तन/2024, म0प्र0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र/एफ 44-04/2017/20-2 भोपाल दिनांक 03.01.2023 में दिये गये निर्देशों के आधार पर जिला भोपाल में तापमान की कमी एवं शीतलहर के कारण समस्त शासकीय/अशासकीय/सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. एवं अन्य बोर्ड से सम्बद्ध विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

अतः उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए समस्त विद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि विद्यालय का संचालन प्रातः 09:00 बजे से पूर्व नहीं करेंगे। परीक्षाओं का संचालन पूर्ववत् नियत समय सारणी अनुसार ही रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।


(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित, आदेशित)


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला भोपाल

भोपाल दिनांक 11.12.2024

पृ. क्र/सामान्य/समय परिवर्तन/2024/22564
प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय म0प्र0।
2. संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल।
3. कलेक्टर जिला भोपाल।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला भोपाल।
5. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग भोपाल।
6. जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र जिला भोपाल।
7. विकासखंड शिक्षा अधिकारी फंदा/बैरसिया की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. समस्त संकुल प्राचार्य शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला भोपाल की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आपके संकुल अंतर्गत आने वाले समस्त विद्यालयों को आदेश पालन कराना सुनिश्चित करें।
9. समस्त बीआरसीसी जिला भोपाल की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीनस्थ आने वाले विद्यालयों को आदेश पालन कराना सुनिश्चित करें।
10. समस्त प्राचार्य शासकीय/अशासकीय/सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. एवं अन्य बोर्ड से सम्बद्ध विद्यालय जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
11. समस्त प्रधानाध्यापक शासकीय/अशासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला भोपाल